RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : शनिवार 09 सितंबर 2023 | वर्ष 05 | अंक 136 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी ®

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

चुनावी हलफनामे में मामलों का खुलासा न करने पर
नागपुर कोर्ट ने फड़णवीस को किया बरी

नागपुर : यहां की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को उस शिकायत के संबंध में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को दोषी नहीं ठहराया, जिसमें भाजपा नेता पर 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले अपने चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने का आरोप लगाया गया था।

सिविल जज एसएस जाधव ने कहा कि अदालत ने फड़णवीस को ''दोष मुक्त'' (बरी कर दिया है) जो वस्तुतः अदालत कक्ष में मौजूद थे। एक वकील, सतीश उके ने एक आवेदन दायर कर फड़नवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1996 और 1998 में भाजपा नेता के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले दर्ज किए गए थे, उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में इस जानकारी का खुलासा नहीं किया था। फड़नवीस ने पहले एक बयान में अदालत में स्वीकार किया था कि उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी एकत्र करते समय उनके वकील से अनजाने में गलती हो गई थी, जिसके कारण 2014 में प्रस्तुत उनके चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों का उल्लेख नहीं किया गया था।

15 अप्रैल को सौंपे गए बयान में, फड़नवीस ने कहा था कि दो ''महत्वहीन'' शिकायत मामलों के बारे में जानबूझकर जानकारी छिपाने का कोई इरादा नहीं था और फॉर्म 26 के हलफनामे में उन्हें शामिल न करना ''सरासर लापरवाही और बिना किसी इरादे के'' था। नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित उपमुख्यमंत्री ने आगे दावा किया कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अधिक गंभीर प्रकृति के मामलों का उल्लेख किया था। भाजपा नेता ने कहा कि वह 1999 से विधानसभा के मौजूदा सदस्य हैं और हर बार भारी अंतर से जीते हैं। फड़नवीस अपना बयान दर्ज कराने के लिए दो मौकों पर अदालत में उपस्थित हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उके फिलहाल जेल में हैं।

मुंबई मे दही हंडी कार्यक्रम में शिरकत करने को लेकर नेताओं मे मची होड़...

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) मानखुर्द स्टेशन स्थित धर्मवीर समाजिक संस्थान की दही हंडी कार्यक्रम में उमड़ने वाले जनसैलाब को देखकर राजनीतिक गलियारों के नेताओ में दही हंडी के इस कार्यक्रम में शिरकत करने की होड़ लगी हुई है। जिसका जीता जागता सबूत आज देखने को मिला दोपहर को केंद्रीय लागू उद्योग मंत्री नारायण राणे के सुपुत्र नितेश राणे पधारे, शाम को साढ़े आठ बजे के दौरान ईशान्य मुंबई भाजपा सांसद मनोज कोटक शामिल हुए । ईशन्य मुंबई सांसद मनोज कोटक ने दही हंडी कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब को देखकर हार्बर लाइन के मानखुर्द, गोवंडी रेल स्टेशनों को आधुनिक बनाने को लेकर सांसद निधि सौंदर्यकरण करने को लेकर जनता को जागरूक करने का कार्य किया ।इसके बाद दक्षिण मध्य मुंबई के एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने भी दही हंडी कार्यक्रम में हाजरी लगाने का कार्य कर विभिन्न गोविंदा पाथको को मनोबल बढ़ाकर हार्दिक शुभेच्छा देना का कार्य किया ।

युवा भारती सोशल फाउंडेशन ने जन्माष्टमी के अवसर पर फोड़ी काव्य सृजन की दही हंडी

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) पूर्वी उपनगर घाटकोपर में युवा भारती सोशल फाउंडेशन ने जन्माष्टमी के अवसर पर फोड़ी काव्य सृजन की दही हंडी । गौरतलब हो की आज जन्माष्टमी के अवसर पर आज जहां देशभर समेत महाराष्ट मुंबई के विभिन्न इलाकों में बड़े ही जोरदार ढंग से दही हंडी का कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाया जा रहा है ।वहीं आज घाटकोपर एलबीएस मार्ग टोयोटा शो रूम के पास युवा भारती फाउंडेशन नामक सामाजिक संस्था ने कुछ नए तरीके से जन्माष्टमी के अवसर पर दही हंडी का त्यवहार मनाया । युवा भारती सोशल संस्था के संचालक गुरु प्रसाद गुप्ता के इस दही हंडी कार्यक्रम में जहां एक तरफ विभिन्न गोविंदा पथक मंडल एक एक कर 5,55,555 रुपए इनाम की काफी ऊंचाई पर बंधी दही हंडी को तोड़ने के लिए 7 थार वाला प्रियमिड बनाकर तोड़ने का प्रयास कर रहे थे ।उल्लेखनीय तौर पर दूसरी ओर मुंबई के मशहूर कवि साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं की दही हंडी से फोड़ने में अति व्यवस्थ दिखाई दिए । वहीं कार्यक्रम अध्यक्ष संजय दागिनपूरी , कवि लालबहादुर यादव कमल अन्नपूर्ण गुप्ता सरगम , नताशा गिरी शिखा, सुरजीत मोर्या, लक्ष्मी कांत मिश्रा कमल नयन, राहुल सिंह ओज,पवन कुमार द्विवेदी, सौरभ दत्त जयंत, माता प्रसाद शर्मा , अंजनी कुमार द्विवेदी, सूर्या नारायण गौड़ , रामकृष्ण गुप्ता ने अपनी एक से बढ़कर एक रचनाओं के जरिए उपस्थित जनसमुदाय को अपनी रचनाओं से मंत्र मुग्ध कर दिया ।

माता प्रसाद शर्मा ने सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम को श्रीगणेश करने का कार्य किया ।दुसरी ओर मंच का संचालन बड़ी हो बखूबी से अंजनी कुमार द्विवेदी ने कर के अपने कौशल का परिचय दिया ।उन्हें एक ही समय में दो कार्यों की जिम्मेदारियों का निर्वहन सफल तरीके से किया ।एक तो गोविंदा पथको को उत्साहित कर मार्गदर्शन करना दूसरा काव्य सृजन कार्यक्रम को बहुत ही बढ़िया ढंग से पूरा करवाने का कार्य किया है । बता दे ,की प्रसार माध्यमों से बातचीत करते हुए संस्था के अधक्ष्य गुरु प्रसाद गुप्ता ने पत्रकारों से कहा की हर वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर दही हंडी का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ।इस वर्ष कुछ नए तरीके से अयोजन कर के सामाज को जनजागृक करने का कार्य किया है ।इस वर्ष भी भाजपा सांसद पूनम महाजन के मार्गदर्शन में यह दही हंडी का आयोजन किया गया है ।

भिवंडी की सड़कों पर बने गड्ढे साबित हो सकते है जानलेवा...

1. गढ्ढों के कारण सड़क पर पलटा कोयले से भरा आयवा डंपर,चार घंटे की मशक्कत के बाद हटा
2. ट्रैफिक से जनता हुई बेहाल,गनीमत से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी

मुस्तकीम खान

भिवंडी : भिवंडी के आगरा रोड पर कृष्णा कांप्लेक्स के पास सड़क पर हुए गढ्ढे के कारण कोयले से भरा एक आयवा डंपर शुक्रवार की दोपहर अचानक पलटी हो गया ।गनीमत रही की इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी ।लेकिन इस दुर्घटना के कारण तकरीबन चार घंटे तक जनता ट्रैफिक जाम से जूझती रही। पुलिस के अनुसार कल्याण रोड से एम एच 04 जी आर 2348 नंबर की आयवा डंपर तकरीबन 20 टन कोयला लेकर स्थानीय नारपोली इलाके में स्थित एक साइजिंग कंपनी में डालने जा रही थी ।दोपहर में तकरीबन डेढ़ बजे जैसे ही उक्त डंपर आगरा रोड पर स्थित कृष्णा कॉम्प्लेक्स के सामने पहुंची,सड़क पर हुए गढ्ढे के कारण डंपर एकाएक पलटी हो गई ।जिसमे लदा सारा कोयला सड़क व बिल्डिंग परिषद में बिखर गया ।हालांकि पूरी तरह इस आगरा रोड पर इस दौरान कोई यात्री न होने के कारण कोई अप्रिय दुर्घटना नही घटी ।लेकिन इस कारण पूरी तरह ट्रैफिक जाम हो गया ।जिसके कारण जनता को आवागमन में काफी दिक्कत हुई ।ट्रैफिक पुलिस व भिवंडी शहर पुलिस ने सड़क को जाम से मुक्त करने के लिए कड़ी मशक्कत की ।साथ ही दुर्घटना के तकरीबन चार घंटे बाद क्रेन लगाकर डंपर को उठाकर कुछ दूर पर ले जाकर खड़ी की गई ।तत्पश्चात छोटी वाहनों द्वारा देर शाम तक कोयले को उठाने का काम शुरू था ।जिसके बाद राहगीरों ने राहत की सांस ली ।इधर इस दुर्घटना ने शहर में बड़े गाड़ियों की इंट्री पर लगे प्रतिबंध का जहां पोल खोल दी है ।वही मनपा प्रशासन द्वारा सड़क पर बारिश के कारण हुए गढ्ढों की भरने के झूठे दावों का पदार्फास हो गया है ।इधर यातायात पुलिस ने इस दुर्घटना के बाद डंपर पर दंडात्मक कार्यवाई की है।

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

आम सहमति की राजनीति का अभाव...

सामान्य तौर पर हर दवाई की तरह सुधार का घूंट भी कड़वा होता है। अगर जल्द दुरुस्त होने की इच्छा न हो तो मन नहीं होता दवाई लेने का, कोई न कोई बहाना ढूंढ़ ही लिया जाता है। प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक और चुनावी जीवन में भी ऐसा ही होता है। सुधारों को किसी भी तरह टालने का प्रयास किया जाता है। न्यायपालिका में सुधार की कोशिश हुई तो उसे खारिज कर दिया गया। राजनीति में अपराधियों के दखल को रोकने को कोई दल स्वीकारने को राजी नहीं। अब एक बड़ी चर्चा पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर छिड़ी है तो कई दल आसमान सिर पर उठाए घूम रहे हैं। दुहाई दी जा रही कि संघीय ढांचा चरमरा जाएगा और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। सच यह है कि हर किसी को पता है कि साल में औसतन चार–पांच चुनाव और उनके चलते सरकारी खजाने पर पड़ने वाले हजारों करोड़ का बोझ झेलने वाले देश को इस समस्या से पार पाने की जरूरत है।

चुनाव सुधार का मामला सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के हित–अहित से जुड़ा है। परेशानी की बात यह है कि विपक्षी दलों को कभी भी कोई सुधार का कदम रास नहीं आता। वे सुधार की हर पहल का विरोध करते हैं। सुधारों के मामले में आम सहमति की राजनीति का अभाव बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल प्रस्तावित सुधारों की गहराई में जाए बिना ही उसका विरोध करने लगते हैं। जीएसटी के बाद से ऐसा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। छह साल पहले शुरूआती तौर पर जीएसटी के विरोध के बाद आम सहमति बन गई थी। कांग्रेस ने भी उसका समर्थन कर दिया, लेकिन दिल से स्वीकार नहीं कर पाई। चुनाव आते ही कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की ओर से उसे 'गब्बर सिंह टैक्स'का नाम दे दिया गया। आज तक कांग्रेस उसकी आलोचना करती है। यदि जीएसटी का विरोध करना था तो फिर समर्थन क्यों दिया था? क्या इसलिए, क्योंकि तब ऐसी चर्चा थी कि जिस देश में जीएसटी जैसी व्यवस्था लागू हुई, वहां सरकार वापस नहीं आ पाई? भारत में इसका उलटा हुआ। मोदी सरकार और बड़े बहुमत से आ गई।

यह एक सच्चाई है कि जीएसटी के कारण जनकल्याण और विकास कार्यों के लिए सरकार के खजाने में ज्यादा पैसे आ रहे और खर्च भी हो रहे हैं। कोविड काल में सरकार अधिक पूंजीगत व्यय कर पाई तो उसमें जीएसटी का भी हाथ था। जीएसटी से अनियोजित व्यापार नियोजित हुआ, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ और देश के खजाने में ज्यादा पैसे आने लगे तथा विकास कार्यों पर खर्च बढ़ा। कुछ साल पहले कृषि सुधार की कोशिश हुई थी। यह एक बड़ी पहल थी, जो जमीन पर उतरती तो देश और किसानों की उन्नति को पंख लग जाते, लेकिन किसानों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेंकी गईं। भारतीय कृषि को वैश्विक बाजार से जोड़ने की जो कवायद एक झटके में हो सकती थी, उसे पाने के लिए अब लंबी जद्दोजहद करनी होगी। यदि राजनीतिक दल कृषि सुधार में आड़े आएंगे तो एक समय बाद खुद किसान ही इसकी मांग करेंगे। कृषि सुधारों की तरह बिजली क्षेत्र में भी सुधारों का विरोध हो रहा है। चूंकि कई राज्यों के चुनावों में मुफ्त बिजली के वादे का असर दिखता है, इसलिए बिजली सुधार भी अटके हैं। विपक्षी दल उस विधेयक पर सहमत नहीं, जिसमें कहा गया है कि सब्सिडी देने वाले राज्यों को डिस्काम के खाते में पैसा जमा करना पड़ेगा। इस विधेयक में यह प्रस्ताव भी है कि उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। विपक्षी दलों के रवैये के कारण इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। एक देश–एक चुनाव के विरोध में खड़े लोग यह तर्क दे रहे हैं कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ ही नहीं, जनता के लिए भी अहितकारी है। सच यह है कि जब अनुच्छेद 356 के मनमाने इस्तेमाल से राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का सिलसिला शुरू हुआ, तब संघीय ढांचे पर सीधा प्रहार हुआ।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

भिवंडी में भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरा होने पर कांग्रेस की तरफ से निकाली गई यात्रा और सभा

भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कांग्रेस ही कर सकती है - अनीश अहमद

मुस्तकीम खान संवाददाता

भिवंडी : भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरा होने पर भिवंडी कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित शांति नगर की सभा में अपने विचार व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनीश अहमद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने संदेश दिया कि भारत में सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और हम सभी भारतीय हैं। भारत के मजबूत लोकतंत्र और पवित्र संविधान की रक्षा केवल कांग्रेस ही कर सकती है, और भाजपा धर्म और जाति को बांटने की राजनीति कर लोगों में नफरत फैला रही है वहीं कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलकर लोगों को एकजुट कर रही है। इस सभा में भिवंडी शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एड रशीद ताहिर मोमिन ने बताया कि इंडिया नाम के बने संगठन की एकता

और बढ़ती लोकप्रियता को देखकर भाजपा बौखला गई है जो इंडिया का नाम बदलकर भारत करने पर तुली हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार और इंडिया की भारी जीत होने वाली है। इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया संगठन के समर्थन में खड़े होने की जरूरत है। इस अवसर पर मंच पर कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री अनीश अहमद भिवंडी शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राशिद ताहिर मोमिन प्रदेश महिला सचिव रेहाना अंसारी, एमपीसीसी सदस्य , जावेद फारुकी , भिवंडी शहर जिला महिला अध्यक्ष रुखसाना कुरैशी, जिला संगठन महासचिव अरशी आजमी, प्रदेश प्रतिनिधि सोहेल खान, सलाम शेख ,पूर्व नगर सेवक अशरफ मुन्ना, डॉक्टर जुबेर अहमद, युवा नेता बाबुल खान सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब हो कि भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने पर भिवंडी शहर जिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री अनीस अहमद और भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन के नेतृत्व में गैबीनगर स्थित वफा कंपलेक्स , गैबीपीर से होकर केजीएन चौक शांति नगर से होते हुए बिलाल नगर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी महिला व पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। अंत में भारत जोड़ो यात्रा का जुलूस बिलाल नगर में एक सभा में तब्दील हो गया। दही हांडी और कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार होने के बावजूद कांग्रेस के इस जुलूस को स्थानीय नागरिकों का भारी प्रतिसाद मिला। नागरिकों ने उत्साहित होकर कांग्रेस के समर्थन में जयकारे के नारे लगाए, जिसे देखकर कांग्रेसियों का उत्साह काफी बढ़ गया है।

मुंबई में फ्लाइट अटेंडेंट हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी की मौत...

थाने के शौचालय में लटका मिला शव!

मुंबई : मुंबई में एक 24 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट की संदिग्ध हालत में हुई मौत वाले मामले में गिरफ्तार किया गया 40 वर्षीय आरोपी पुलिस की हिरासत में फंदे पर लटका हुआ पाया गया। पुलिस अधिकारी ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी विक्रम अठवाल को अंधेरी पुलिस थाने के शौचालय के अंदर दो पैंट को मिला कर बनाए गए फंदे पर लटका हुआ पाया गया।

मृतक रूपल ओगरे अंधेरी के मरोल इलाके में कृष्णलाल मारवाह मार्ग पर स्थित एनजी कॉम्पलेक्स के एक फ्लैट में किराए पर रहती थी, जिसकी रविवार की रात गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि मृतक छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी और एयर इंडिया में 'फ्लाइट अटेंडेंट'का प्रशिक्षण लेने के लिए अप्रैल में मुंबई आई थी।

पुलिस ने हत्या के एक दिन बाद आरोपी विक्रम अठवाल को गिरफ्तार किया था। दरअसल, वह पिछले एक साल से उस सोसाइटी की देखभाल और साफ-सफाई का कम कर रहा था। इस घटना में एक स्थानीय अदालत ने उसे आठ सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा था। हत्या की जांच के दौरान पुलिस को एक चाकु मिला, जिससे मृतक की हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी शादीशुदा था और उसके दो बच्चे भी थे। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी और मृतक के बीच छोटी-छोटी बातों पर बहस हुआ करती थी। पुलिस के अनुसार आरोपी कचरा उठाने और बाथरूम साफ करने के बहाने से मृतक के घर में घुसा और उसकी हत्या कर दी।

मुंबई एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी यात्री गिरफ्तार...

लाइट अटेंडेंट के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप

मुंबई : मुंबई पुलिस ने एक 30 वर्षीय बांग्लादेशी युवक को मस्कट-ढाका विमान में फ्लाइट अटेंडेंट के साथ यौन उत्पीड़ने करने के मामले में गिरफ्तार किया है। यह घटना गुरुवार को तब घटी जब विस्तारा के विमान को कुछ देर के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान मोहम्मद दुलाल के तौर पर की गई है जो मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। वह मस्कट से मुंबई के रास्ते बांग्लादेश जाने वाले विमान में सफर कर रहा था।

मुंबई में विमान के उतरने के ठीक आधे घंटे पहले वह अपनी सीट से उठकर फ्लाइट अटेंडेंट को गले लगाकर उसे किस करने की कोशिश की। जब अन्य केबिन क्रू ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो आरोपी उनपर भड़कने लगा। फ्लाइट कैप्टन ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फ्लाइट कैप्टन ने आरोपी को अनियंत्रित यात्री घोषित कर दिया।

मुंबई एयरपोर्ट पर विमान के लैंड होने के बाद आरोपी को सुरक्षा बलों के समक्ष पेश किया गया। उसे वहां से सहार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे कोर्ट में स्थानीय कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे शुक्रवार तक पुलिस हिरासत में रखने की इजाजत दी गई।

10 सितंबर के लिए मुंबई, पालघर और ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी

मुंबई : मुंबई और आसपास के इलाको में गुरुवार तड़के सुबह से ही बारिश शुरू है। हालांकी इसके साथ ही मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए भी मुंबई और आसपास के इलाको के लिए मौसम की चेतावनी जाहीर की है। मौसम विभाग ने 9-10 सितंबर यानी की आज और कल के लिए मुंबई, पालघर और ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अलग- अलग स्थानों पर भारी बारिश का संकेत दिया गया है। शुक्रवार को भी गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। गुरुवार को मुंबई और ठाणे के साथ साथ रायगढ़ जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो रविवार तक रहेगा। मौसम ब्यूरो ने रविवार को मुंबई के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ आँधी आने की संभावना बताई गई है।

मुंबई में शख्स ने महिला पर शादी का दवाब बनाने के लिए उसकी पांच साल की बेटी का किया अपहरण... हुआ गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई पुलिस ने बुधवार को एक 35 वर्षीय व्यक्ति को महिला पर शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए उसकी पांच वर्षीय बेटी का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. वह लड़की के साथ ट्रेन के शौचालय में छिप गया जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और लड़की को उसके माता-पिता से मिलवाया. आरोपी रोतिन घोष को अदालत में पेश किया गया और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

क्या है मामला ?

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि घोष कथित तौर पर लड़की की मां के साथ रिश्ते में था. जब उसका पति बाहर होता था तो वह उससे मिलने आता था. घोष महिला को अपने पति को छोड़कर उससे शादी करने की धमकी देता रहता था. हालांकि, वह मना करती रही. अधिकारी ने कहा, पहले भी दो मौकों पर वह लड़की के साथ भाग गया था लेकिन घंटों बाद वापस लौट आया. मंगलवार रात जब बच्ची लापता हो गई तो महिला को शक हुआ कि वह इस बार भी ऐसा ही करेगा. हालांकि, जब वह बुधवार सुबह तक वापस नहीं लौटी तो उसने अपने पति के साथ पुलिस से संपर्क किया.

पुलिस ने दर्ज किया केस

नागपाड़ा पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक सचिन कदम ने मामले में एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच के लिए छह टीमों का गठन किया. आरोपी के मोबाइल फोन रिकॉर्ड की जांच करने पर उसकी लोकेशन नासिक के इगतपुरी में पाई गई. पुलिस को संदेह था कि वह लड़की के साथ ट्रेन में था और कोलकाता में अपने पैतृक स्थान जा रहा था. नागपाड़ा पुलिस टीम ने इगतपुरी सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) को सतर्क किया और उनसे उन ट्रेनों का निरीक्षण करने को कहा जो अभी-अभी आई हैं. पुलिस टीम ने वहां पहुंची अमृतसर एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेनों की जांच की लेकिन दोनों नहीं मिले.

रेलवे कोच के बाथरूम में छिपा था शख्स

इसके बाद पुलिस ने सीएसएमटी और एलटीटी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि आरोपी और लड़की एलटीटी स्टेशन से शालीमार एक्सप्रेस में चढ़े थे. पुलिस टीम को तब पता चला कि ट्रेन अगली बार जलगांव के चालीसगांव में रुकेगी और उन्होंने वहां जीआरपी को सतर्क कर दिया. हालांकि, जब जीआरपी टीम ने ट्रेन की तलाशी ली, तब भी उन्हें दोनों नहीं मिले. आखिरकार पुलिस को दोनों एक कोच के बाथरूम में मिले जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.

मुंबई बीएमसी ने 8,000 से अधिक अवैध हटाए

मुंबई : बीएमसी ने सितंबर के पहले सप्ताह में 8000 से अधिक अवैध बैनर, पोस्टर और बोर्ड हटा दिए हैं। हालाँकि, अवैध बैनरों से शहर को खराब होने से रोकने के लिए, नागरिक अधिकारियों ने मुंबई पुलिस से विशेष रूप से रात के समय निगरानी रखने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

1 सितंबर से विशेष अभियान शुरू

सड़कों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष अभियान 1 सितंबर को शुरू हुआ। बीएमसी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 3151 बैनर राजनीतिक, 2,686 धार्मिक और 561 वाणिज्यिक थे। शहर के कई हिस्सों से राजनीतिक दलों के लगभग 500 झंडे भी हटा दिए गए। कांदिवली, अंधेरी, सांताक्रूज, बांद्रा और भांडुप जैसे प्रमुख स्थान सबसे अधिक विकृत क्षेत्रों में से थे। बैनर हटाने के बाद नगर निकाय उनकी तस्वीरें लेता है और उस व्यक्ति के खिलाफ विरूपण अधिनियम के तहत शिकायत करता है जिसका नाम उस पर है। इसके अलावा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में अवैध वाणिज्यिक जमाखोरी के खिलाफ मामला दायर किया गया है, जिसमें 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस शिकायतें संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1995 के तहत दर्ज की जाती हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या तीन महीने की कैद या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। किसी अपराधी को मुंबई नगर निगम अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है और अवैध होर्डिंग या पोस्टर लगाने पर 1,000-5,000 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है। बीएमसी सालाना लगभग 15,000 से 20,000 ऐसे होर्डिंग और बैनर हटाता है।

पोती से दुष्कर्म मामले में बुजुर्ग व्यक्ति को कोर्ट ने किया बरी...

कहा- पीड़िता की गवाही भरोसेमंद नहीं

मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने पोती से दुष्कर्म मामले में बुजुर्ग व्यक्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसे पीड़िता की गवाही भरोसेमंद नहीं लगी। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) के तहत गठित अदालत की अध्यक्षता कर रही विशेष न्यायाधीश कल्पना पाटिल ने पांच सितंबर को आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच के विभिन्न चरणों में पीड़ित लड़की द्वारा बताए गए अलग-अलग नामों और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति का नाम छिपाने की उसकी हरकत को ध्यान में रखते हुए, पीड़ित लड़की की मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं लगते है। अदालत ने कहा कि उसकी गवाही किसी अन्य सबूत से भी मेल नहीं खाती है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता, नाबालिग, अपने दादा-दादी के साथ रहती थी। जून 2018 में, लड़की अपने दादा के सामने बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां यह पता चला कि वह गर्भवती थी। इसके बाद, उसके दादा ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पूछताछ के दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिससे वह गर्भवती हो गई. बाद में, उसने एक और बयान दिया, जिसमें कहा गया कि उसके दादा ने उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए और उसे धमकी भी दी कि वह अपने कृत्य के बारे में किसी और को न बताए। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसे अक्तूबर 2017 में अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला। पीड़िता ने पुलिस को अपने निजी अंगों को कथित तौर पर बुजुर्ग रिश्तेदार द्वारा सिगरेट या माचिस की तीली से जलाने की भी जानकारी दी।

अदालत के आदेश में कहा गया है कि पीड़िता ने स्वीकार किया है कि जब उसका मासिक धर्म नहीं हुआ तो उसने यह बात अपनी सहेली को बताई और अपनी सहेली की मां के साथ अस्पताल

699 करोड़ रुपए के दलाली मामले में राज्य का शहरी विकास विभाग और सिडको महामंडल आमने-सामने

मुंबई : घरों की मार्केटिंग और बिक्री के लिए सिडको द्वारा नियुक्त एक निजी कंसल्टेंसी फर्म को दिए गए ६९९ करोड़ रुपए के दलाली मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस संदर्भ में रिपोर्ट सौंपने के मुद्दे पर राज्य का शहरी विकास विभाग और सिडको महामंडल आमने-सामने आ गए हैं। इसलिए आनेवाले समय में ये मामला और भी बिगड़ने की आशंका है। सिडको ने घरों की बिक्री के लिए संयुक्त साझेदारी में एक निजी सलाहकार फर्म को नियुक्त किया है। सिडको के माध्यम से बननेवाले मकानों और व्यावसायिक भूखंडों की बिक्री के लिए इस कंपनी को ६९९ करोड़ रुपए दलाली के रूप में दिए जाएंगे। लेकिन सिडको के इस पैंथसले का विभिन्न स्तरों से विरोध हो रहा है।

सिडको के माध्यम से बनाए जानेवाले ६७ हजार मकानों का मार्केटिंग एवं बिक्री करने के लिए हेलिओस मीडियम बाजार प्राइवेट लिमिटेड और एम. थोट्रेन डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड इस संयुक्त भागीदारी वाली कंपनी की नियुक्ति की गई है। इसके लिए एक घर की बिक्री के पीछे एक लाख के हिसाब से करीब ६९९ करोड़ रुपए दलाली देने का निर्णय सिडको ने लिया है। लेकिन इस कंपनी ने पिछले साल सिडको का एक भी घर नहीं बेचा है। इसके बावजूद सिडको इस कंपनी को सिर्फ मार्केटिंग खर्च के तौर पर १२८ करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है।

इसे कम करने के लिए संबंधित कंपनी ने नियोजित आवास परियोजनाओं के लिए विज्ञापन और कार्यक्रमों पर अतिरिक्त १५० करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव सिडको को प्रस्तुत किया है। जब उपमुख्यमंत्री अजीत पवार विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने तीन बार सिडको को लिखित रूप में मामले की जांच करने और प्रतिक्रिया के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। लेकिन सिडको के संबंधित विभाग ने अजीत पवार के निर्देश को नजर अंदाज कर दिया। वर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने भी कहा है कि वह इस मामले में सरकार से जवाब मांगेंगे।

नालासोपारा में ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार

वसई : ड्रग्स विक्री व सेवन करने वालो पर एमबीवीवी पुलिस पूरी तरह से टूट पड़ी है। नतीजतन आये दिन विभिन्न पुलिस स्टेशन क्षेत्रो में ड्रग्स विक्री करने व सेवन करने वालों पर कार्रवाई कर उनके खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा रही है। इसी क्रम में तुलिंज पुलिस ने 60 हजार रुपये का ब्राउन शुगर जप्त करते हुए एक महिला आरोपी को

गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार, तुलिंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नालासोपारा पूर्व के प्रगति नगर क्षेत्र की एक बिल्डिंग के फ्लैट में रेड की, पुलिस ने एक 27 वर्षीय महिला को पकड़ा, छानबीन के दौरान महिला (सुमया बारिक शेख) के पास से 12 ग्राम वजन (कीमत-60,000 रुपये) ब्राउन शुगर जप्त किया। मामले में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। उपरोक्त घटना में शिकायतकर्ता पुलिस कर्मीय (इस्माईल गुलाब शाह छपरीबन) की शिकायत पर तुलिंज पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आगे की तहकीकात पुलिस कर रही है।

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : शनिवार 09 सितंबर 2023

छत्रपति शिवाजी द्वारा अफजल खान को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया 'वाघ नख' भारत वापस लाया जाएगा

महाराष्ट्र : ''वाघ नख'', एक बाघ के पंजे के आकार का खंजर जिसका इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1659 में बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खान को मारने के लिए किया था, ब्रिटेन के अधिकारियों द्वारा भारत को वापस कर दिया जाएगा, महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने पुष्टि की। अक्टूबर महीने में सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार एक एमओयू पर हस्ताक्षर कर वापसी पर औपचारिक मुहर लगाने के लिए लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय की यात्रा करेंगे। एमओयू पर हस्ताक्षर और खंजर की वापसी के बारे में बात करते हुए, सुधीर मुंगतीवार ने कहा, ''3 अक्टूबर को, हम लंदन में एक एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे और नवंबर में 'वाघ नख' को वापस लाएंगे। 'वाघ नख' हमारे लिए सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है।'' ''वाघ नख'', एक स्टील का खंजर जिसमें पहली और चौथी उंगलियों के लिए दो छल्ले होते हैं और एक पट्टी पर चार पंजे लगे होते हैं, महाराष्ट्रीयन संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी अपेक्षित वापसी राज्य की सांस्कृतिक विरासत और महान नेता छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति सम्मान में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। 18वीं से 19वीं सदी का भारतीय वाघ नख (''बाघ के पंजे''), एक पंजे के आकार का हथियार है जिसे हथेली के नीचे और सामने दबाया जा सकता है या पोर के ऊपर पहना जा सकता है। यह अक्सर ठोस स्टील के एक टुकड़े से बना होता है जिसमें चार बड़े त्रिकोणीय पंजे होते हैं और इसमें चार से पांच घुमावदार ब्लेड होते हैं जो एक क्रॉसबार या दस्ताने से जुड़े होते हैं और मांसपेशियों और त्वचा को चीरने के लिए होते हैं।

सुले ने मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया...

लातूरः राकांपा नेता सुप्रिया सुले ने जालना में मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों पर पिछले हफ्ते की पुलिस कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया है कि राज्य और केंद्र सरकार विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर नहीं हैं। गुरुवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र से आरक्षण के मुद्दे का समाधान खोजने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने का भी आग्रह किया।

1 सितंबर को जालना जिले के अंतरवाली सारथी गांव में हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जब प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर अधिकारियों को मराठा आरक्षण की मांग के लिए भूख हड़ताल पर बैठे एक कार्यकर्ता को अस्पताल में स्थानांतरित करने से मना कर दिया था। हिंसा में 40 पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए और 15 से अधिक राज्य परिवहन बसों में आग लगा दी गई। ''राज्य और केंद्र सरकारें मराठों, लिंगायतों, मुसलमानों, धनगरों आदि को आरक्षण देने के बारे में गंभीर नहीं हैं। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने बारामती में हमारे घर के सामने एक बैठक में धनगर आरक्षण मुद्दे को हल करने के बारे में बात की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इसके बारे में भूल गए हैं।'' यह,''सुले ने कहा।

''पुलिस ने जालना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जिसके लिए फड़नवीस (जो एकनाथ शिंदे सरकार में गृह विभाग संभालते हैं) जिम्मेदार हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, केंद्र सरकार को आरक्षण के मुद्दे का समाधान खोजने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। विशेष रूप से, फड़नवीस ने इस सप्ताह की शुरूआत में कहा था कि सरकार को जालना में मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा बल प्रयोग पर खेद है। उन्होंने सोमवार को कहा, ''महाराष्ट्र सरकार कुछ दिन पहले जालना जिले में पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग पर खेद व्यक्त करती है।'' सुले ने कहा कि बारिश की कमी के कारण किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप मवेशियों के लिए चारे की भी कमी हो गई है, लेकिन सरकार कोई राहत नहीं दे रही है। राज्य सरकार की 'शासन अपल्या दारी' (आपके द्वार पर सरकार) पहल का मजाक उड़ाते हुए, बारामती से लोकसभा सांसद ने कहा कि प्रचलित बात यह है कि ''ईडी और सीबीआई (केंद्रीय जांच एजेंसियां) आपके द्वार पर'', कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामलों का संदर्भ है।.

उन्होंने दावा किया कि केंद्र विपक्षी इंडिया गुट से डरता है और इसलिए उसने देश का नाम बदलने की अटकलें शुरू कर दी हैं। राकांपा की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ है और शरद पवार इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जयंत पाटिल राज्य इकाई के प्रमुख बने रहेंगे। 2 जुलाई को अजित पवार और एनसीपी के आठ विधायक एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए।

कुर्ला में आग से पांच झोपड़ियां खाक

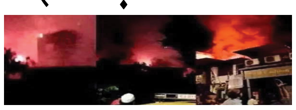

मुंबई : मुंबई के कुर्ला इलाके में शुक्रवार को सुबह आग लगने से पांच झोपड़ियां जलकर खाक हो गई, हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, कुर्ला में ही एक रिहायशी इमारत में आग लगने की दूसरी घटना सामने आई है, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।एक अधिकारी ने बताया, ''कुर्ला पूर्व के इंदिरा नगर में शुक्रवार सुबह आग लग गई, जिसमें पांच झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं।'' उन्होंने कहा, ''घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय दमकल विभाग तुरंत मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।'' अधिकारी के मुताबिक, वहीं दूसरी घटना में कुर्ला पूर्व के कुरैशी नगर इलाके में स्थित गैलेक्सी इमारत के मीटर बॉक्स में शार्ट-सर्किट की वजह से शुक्रवार सुबह पांच बजकर 20 मिनट पर आग लग गई।

उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की 'वफादारी' को लेकर कसा तंज

अब मुख्यमंत्री ने भी किया पलटवार, जानें- क्या कहा?

मुंबई : देश में 'सनातन धर्म' पर विवाद के बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर विपक्षी गठबंधन इंडिया और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना की है. सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का दौरा किया था जब उन्होंने मीडिया से बात की और कहा, ''इंडिया के नेता हिंदुओं के खिलाफ एकजुट हो गए हैं, अब हिंदू धर्म के खिलाफ उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं. इस मामले पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे चुप हैं. एकनाथ शिंदे ने कहा, ''हर किसी ने उनकी वफादारी देखी, सत्ता के लिए उन्होंने वफादारी बेची, उन्होंने बालासाहेब के विचार बेचे, उन्हें हमें वफादारी नहीं सिखानी चाहिए.''

राज्य में मराठा आरक्षण विवाद पर आगे बोलते हुए सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. ''सरकार मराठा आरक्षण को लेकर बहुत गंभीर है. जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब आरक्षण दिया गया था लेकिन महा विकास अघाड़ी सरकार के दौरान उच्च न्यायालय ने उस आरक्षण को खारिज कर दिया था. हमारी सरकार मराठों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार अदालत को यह दिखाने का काम करेगी कि मराठा समुदाय सामाजिक रूप से पिछड़ा है. यह जालना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद आया है, जहां प्रदर्शनकारी मराठों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे.

पुलिस का लाठी चार्ज और सरकार की माफी

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने जालना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के लिए सोमवार को माफी जारी कर दी, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर शिंदे के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''पुलिस द्वारा लाठीचार्ज सही नहीं था... मैं सरकार की ओर से माफी मांग रहा हूं. सीएम ने कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.''

मुंबई हवाई अड्डे पर रिश्वत लेने के दोषी दो अधिकारियों को तीन साल की सजा

मुंबई : मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने सीमा शुल्क विभाग के दो पूर्व अधिकारियों को 2018 में कैमरा उपकरण के लिए निर्यात प्रमाणपत्र जारी करने के एवज में एक फोटोग्राफर से रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश एस.एच. ग्वालानी ने आरोपी वासुदेव निनावे और जगदीश मोंडकर को पांच सितंबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था। विस्तृत आदेश बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुआ। घटना के समय निनावे और मोंडकर यहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर क्रमशः सीमा शुल्क अधीक्षक और हवलदार के रूप में तैनात थे। फोटोग्राफर ओंकार राउत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया और आरोप लगाया कि दोनों अधिकारियों ने उनसे और उनके दोस्त पुनीत देसाई से कैमरा उपकरण के लिए निर्यात प्रमाणपत्र जारी करने के वास्ते 5,000 रुपये की मांग की, जो वे अपने साथ कतर ले जा रहे थे। अदालत ने माना कि ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि आरोपियों ने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में सफल रहा।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com